फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	25/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दिनांक 10/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगा[illegible])
	10/3/25	पत्रावली [illegible] आज [illegible] का [illegible] न्यायिक अन्य [illegible] सा० साहब पूर्वानुसार [illegible] 11/3/25 [illegible] पत्रावली को पेश
	11/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 109/2024
निर्णय दिनांक: 10.03.2025

उनवान

हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये अध्यक्ष रामप्रताप सैन पुत्र श्री जगदीश प्रताप सैन , जाति नाई, उम्र 73 वर्ष निवासी ग्राम कगनोई तहसील चौमू जिला जयपुर(राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान आवासन मण्डल जरिये सचिव, पताः–ज्योति नगर विधानसभा भवन के पास जनपथ जयपुर (राज0)
2. उप आवासन आयुक्त जोन मानसरोवर, पता कावेरी पथ मानसरोवर जयपुर (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी समिति ने एक वाद ठोस व सुदृढ आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी समिति को सफलता प्राप्त होने की पुरी–पुरी आशा है। प्रार्थी समिति राजस्थान सहकारिता अधिनियम 1965 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी समिति है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एल–2686 है जिसका की मुख्य कार्यालय डी–20 मीरा मार्ग, वनीपार्क, जयपुर है जिसका वर्तमान में रामप्रताप सैन अध्यक्ष है जिसे समिति की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व प्रत्येक प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम झालाना चोड, अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अलमशहूर महारानी फार्म में स्थित खसरा नम्बर 52,53 व 55 जिसके हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 है। राजमाता गायत्री देवी की खातेदारी में स्थित है जिसमें से 15 बीघा भूमि प्रार्थी समिति ने जरिये अनुबन्ध पत्र दिनांक 05.11.1979 को खरीद की जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी समिति एवं राजमाता गायत्री के मध्य निष्पादित हुआ और प्रार्थी समिति ने राजमाता गायत्री देवी को विक्रय प्रतिफल राशि 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) ततसमय ही अदा कर दी और वक्त खरीद से अर्थात दिनांक 05.11.1979 से प्रार्थी समिति का उक्त भूमि पर कब्जा रहा। प्रार्थी समिति अपने सदस्यो को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध करवाती है और प्रार्थी समिति ने उपरोक्त भूमि पर आवासीय योजना बनाने के लिये एस. एम.एस कॉलोनी ब्लॉक सी के नाम से एक योजना की रूप रेखा तैयार की और प्रस्तावित योजना का मानचित्र मय सदस्यता सूची व दस्तावेजात के जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर दिया और उक्त कॉलोनी में प्रार्थी समिति ने काटे गये आवासीय प्लाटो का सीमांकन कर दिया जिसके पश्चात प्रार्थी समिति के उक्त योजना में आवंटित सदस्यो में से अधिकांश सदस्यो ने अपने पुख्ता मकान बना लिये, पानी बिजली की सुविधा प्राप्त कर ली और परिवार सहित रिहायश कर रहे है। खसरा नम्बर 52, 53 व 55 जिसके की हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 है में से खसरा नम्बर 63

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जिसका कि पुराना खसरा नम्बर 53 है वह कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी में नही रहा और ना ही अप्रार्थीगण के द्वारा किसी भी प्रकार से अवाप्त किया गया है और जिसकी खातेदारी आज दिनांक तक भी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज नही है। इस कारण अप्रार्थीगण का पुराना खसरा नम्बर 53 जिसका नया खसरा नम्बर 63 है जो कि ग्राम झालाना चोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है की भूमि सम्पूर्ण या उसके किसी भी भाग व अंश से कोई मालिकाना सम्बन्ध व सरोकार नही है और ना ही अप्रार्थीगण को प्रार्थी समिति की मिल्कियत की उक्त खसरा नम्बर 63 पुराना नम्बर 53 की भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने का या प्रार्थी समिति के सदस्यो को बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण एक गर्वमेन्ट एवं सैमी गर्वमेन्ट निकाय है जो कि सुर्लभदरो पर भूखण्ड आवंटित करते है परन्तु अप्रार्थीगण को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वह प्रार्थी समिति के स्वामित्व व मालिकाना हक की भूमि खसरा नम्बर 63 (पुराना खसरा नम्बर 53) पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी समिति के सदस्यों को बेदखल करे। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि प्रार्थी समिति के स्वामित्व व मालिकाना हक की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 से लगती हुई है जिसका कि कोई सीमांकन नही हो रखा है और इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुये अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी समिति के स्वामित्व व मालिकाना हक की भूमि खसरा नम्बर 63 की भूमि में से करीव 8,146 वर्गमीटर भूमि पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर लिया और प्रार्थी समिति के सदस्यो को वेदखल कर दिया और प्रार्थी समिति द्वारा बार–बार कहे जाने पर भी अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी समिति को खसरा नम्बर 63 की भूमि में से 8,146 वर्गमीटर भूमि का कब्जा वापस नही दिया जा रहा है जिसके बाबत प्रार्थी समिति ने अप्रार्थीगण को दिनांक 23.05.2023 को अपने अधिवक्ता के जरिये एक रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करवाया जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया और जिसका जवाब अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 21.07.2023 को प्रेषित कर यह स्वीकार किया कि खसरा नम्बर 53, 53, व 55 जिसके कि नये नम्बर 62, 63, 65 व 66 है जो कि ग्राम झालाना चोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है कि भूमि कभी भी अप्रार्थीगण के द्वारा अवाप्त नही की गयी। इस प्रकार अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति से भी अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 63 की भूमि से किसी भी प्रकार कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। खसरा नम्बर 63 की भूमि प्रार्थी समिति के स्वामित्व व मालिकाना हक की है जिससे कि अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है फिर भी अप्रार्थीगण ने अनाधिकृत रूप से खसरा नम्बर 63 की भूमि के 8,146 वर्गमीटर के भाग पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है और जिसका कब्जा अप्रार्थीगण प्रार्थी समिति को नही दे रहे है इस कारण खसरा नम्बर 63 जिसका कि पुराना खसरा नम्बर 53 है जो कि ग्राम झालाना चोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है कि भूमि का सीमाज्ञान सक्षम अधिकारीयो की मौजूदगी में करवाया जावे और अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जावे कि अप्रार्थीगण ने जो कोई कब्जा खसरा नम्बर 63 की भूमि में कर रखा है वह पुनः प्रार्थी समिति को लौटावे। प्रार्थी समिति के द्वारा खसरा नम्बर 52, 53 व 55 जिसके कि हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 है कि 15 बीघा भूमि दिनांक 05.11.1979 को मूल खातेदार राजमाता गायत्री देवी से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया और जिसका दस्तावेज भी ततपश्चात पंजीबद्ध हो गया और जिसके आधार पर प्रार्थी समिति को खसरा नम्बर 62, 63,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

65 व 66 स्थित ग्राम झालाना चोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर की मालिक घोषित किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह खसरा नम्बर 63 की भूमि की वर्तमान की मौका स्थिति को यथावत कायम रखे और उसमे किसी भी प्रकार से मौके व रिकॉर्ड पर कोई परिवर्तन ना करे और ना ही किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे व करावे व ना ही होने दे. ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने अधिकारी, कर्मचारी, ठेकदार, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर तथा अप्रार्थीगण की ओर से दिये गये जवाब नोटिस से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का ग्राम झालाना चोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 63 पुराना खसरा नम्बर 53 की भूमि से अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई मालिकाना हक व स्वामित्व नही है। इस कारण उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी समिति के हक में सुदृढ प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी समिति के हक में ही है। अप्रार्थीगण के द्वारा दौराने वाद विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 63 में किसी भी प्रकार से कोई निर्माण या हस्तान्तरण किया गया या उसके मौके व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन किया गया या उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन किया गया तो प्रार्थी समिति को इस कदर अपूर्तनिय क्षति होगी जिसकी कि पूर्ति किसी भी प्रकार से मूल्य में किया जाना सम्भव नही होगा। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है। अतःप्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी समिति का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 63 पुराना खसरा नम्बर 53 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना करे और ना ही किसी भी प्रकार से कोई निर्माण कार्य करे और ना ही अन्यथा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में किसी अन्य का हित सृजित करे, ऐसा ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार इत्यादि से ही करावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया जाकर कथन किया कि धारा 50 राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम के प्रावधान है जो कि बोर्ड के विरूद्ध बाद का नोटिस– इस अधिनियम के अनुसरण में की गई या की हुई तात्पर्यित किसी बात के लिए, कोई व्यक्ति, बोर्ड के विरूद्ध या बोर्ड के किसी आफिसर या सेवक के, या बोर्ड के आदेशो के अधीन कार्य कर रहें किसी व्यक्ति के विरूद्ध, कोई वाद, उक्त बोर्ड, आफिसर या सेवक या व्यक्ति को, आशयित वाद तथा उसके हेतुक का लिखित में दो माह का पूर्व नोटिस दिये बिना, और जिस कार्य के विरूद्ध परिवेदना की गई हो, उसकी तारीख से छः माह के पश्चात , प्रारंभ नही करेगा। प्रार्थी समिति द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में जाहिर किया गया है कि ग्राम झालाना चॉड, अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अलमशहूर महारानी फार्म में स्थित खसरा नम्बर 52,53 व 55 जिसके हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 है। राजमाता गायत्री देवी की खातेदारी में स्थित है जिसमें से 15 बीघा भूमि प्रार्थी समिति ने जरिये अनुबन्ध पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिनांक 05.11.1979 को खरीद की जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी समिति एवं राजमाता गायत्री के मध्य निष्पादित हुआ और प्रार्थी समिति ने राजमाता गायत्री देवी को विक्रय प्रतिफल राशि 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) तत्समय ही अदा कर दी और वक्तृत खरीद से अर्थात दिनांक 05.11.1979 से प्रार्थी समिति का उक्त भूमि पर कब्जा रहा, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी समिति द्वारा दिनांक 05/11/1879 को अनुबंध पत्र निष्पादित करवाया है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में उक्त समिति को राईट, टाईटल एण्ड इंट्रेस्ट सृजित नहीं होते है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि के लिए प्रार्थना पत्र लाने में सक्षम नहीं है। प्रार्थी समिति द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में जाहिर किया गया है कि प्रार्थी समिति को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण प्रार्थी समिति द्वारा दिनांक 23.05.2023 का नोटिस दिये जाने पर व नोटिस का जवाब दिनांक 21.07.2023 को दिया जाकर स्वयं के निर्माण को सही बताया है के पश्चात नोटिस अवधि 02 माह पूर्ण होने पर अर्थात दिनांक 23.05.2023 से उत्पन्न होकर बदस्तूर जारी है, अस्वीकार है, क्योंकि विधिक नोटिस देने एवं उसका जवाब प्राप्त करने से वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है चूंकि वादकारण उत्पन्न होने की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण उक्त वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रारंभिक आपत्तियों, मदवार जवाब एवं विशेष कथन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान आवासन मण्डल के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरुद्ध राजस्थान आवासन मण्डल इसी स्तर पर भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावें ।

बहस प्रार्थना पत्र वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी समिति का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 63 पुराना खसरा नम्बर 53 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना करे और ना ही किसी भी प्रकार से कोई निर्माण कार्य करे और ना ही अन्यथा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में किसी अन्य का हित सृजित करे, ऐसा ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार इत्यादि से ही करावे व अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में माम झालाना चौड, अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अलमशहूर महारानी फार्म में स्थित खसरा नम्बर 52, 53 व 55 जिसके हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 है। राजमाता गायत्री देवी की खातेदारी में स्थित है जिसमें से 15 बीघा भूमि प्रार्थी समिति ने जरिये अनुबन्ध पत्र दिनांक 05.11.1979 को खरीद की जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी समिति एवं राजमाता गायत्री के मध्य निष्पादित हुआ और प्रार्थी समिति ने राजमाता गायत्री देवी को विक्रय प्रतिफल राशि 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) तत्समय ही अदा कर दी और वक्तृत खरीद से अर्थात दिनांक 05.11.1979 से प्रार्थी समिति का उक्त भूमि पर कब्जा रहा, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी समिति द्वारा दिनांक 05/11/1879 को अनुबंध पत्र निष्पादित करवाया है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में उक्त समिति को राईट, टाईटल एण्ड इंट्रेस्ट सृजित नहीं होते है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि के लिए

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)

प्रार्थना पत्र लाने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विरुद्ध राजस्थान आवासन मण्डल इसी स्तर पर भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम झालाना चोंड, अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अलमशहूर महारानी फार्म में स्थित खसरा नम्बर 52, 53 व 55 जिसके हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 के फार्म श्री माहारानी जी साहिबा के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, जिसमें से 15 बीघा भूमि प्रार्थी समिति ने जरिये अनुबन्ध पत्र दिनांक 05.11.1979 को खरीद की जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी समिति एवं राजमाता गायत्री के मध्य निष्पादित हुआ। जिसमें फार्म श्री माहारानी जी साहिबा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा किसी प्रकार से अवाप्त नही की गई है। अप्रार्थीगण की भूमि वादग्रस्त आराजी के लगवा है पुराने खसरा संख्या 50 जिसका नया खसरा नम्बर 26 है जो कि सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थी समिति की प्लानिंग के कुछ भूखण्ड पुराने खसरा संख्या 50 जिनके नया खसरा संख्या 26 में आ रहे है। जिसमें प्रार्थी के खसरा संख्या 62, 63, 65, 66 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के खसरा नम्बरान 26 व ,177/272 मि कुल रकबा 10 बिघा वादग्रस्त आराजी का विधिवत आज दिनांक तक नही हुआ है प्रार्थी अपनी भूमि में काबिज है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम झालाना चोंड, अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अलमशहूर महारानी फार्म में स्थित खसरा नम्बर 52, 53 व 55 जिसके हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 के फार्म श्री माहारानी जी साहिबा के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, जिसमें से 15 बीघा भूमि प्रार्थी समिति ने जरिये अनुबन्ध पत्र दिनांक 05.11.1979 को खरीद की जिसका अनुबन्ध पत्र भी प्रार्थी समिति एवं राजमाता गायत्री के मध्य निष्पादित हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा खसरा संख्या 63 में से 8146 वर्गमिटर पर बिना किसी अवाप्ति के अवैध अतिक्रमण करने का अनुचित प्रयास किया जा रहा है बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी। उक्त तीनों बिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम झालाना चोंड, अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में अलमशहूर महारानी फार्म में स्थित खसरा नम्बर 52, 53 व 55 जिसके हाल खसरा नम्बर 62, 63, 65 व 66 भूमि खसरा नम्बर 63 पुराना खसरा नम्बर 53 में जब तक विधिक सीमाज्ञान नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण वादग्रज्ञत आराजी में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना करे और ना ही किसी भी प्रकार से कोई निर्माण कार्य करे और ना ही अन्यथा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में किसी अन्य का हित सृजित करे, ऐसा ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदांर इत्यादि से ही करावे। तथा वादग्रस्त भूमि में मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर